



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-24092021-229929
CG-DL-E-24092021-229929

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 544]
No. 544]

नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 24, 2021/आश्विन 2, 1943
NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 24, 2021/ASVINA 2, 1943

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 सितम्बर, 2021

आय-कर

सा.का.नि. 661(अ).—केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 92गख की उपधारा (2) के साथ पठित धारा 295 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आय-कर नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् :--

- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आय-कर (तीसवां संशोधन) नियम, 2021 है।
(2) ये 1 अप्रैल, 2021 से प्रवृत्त हुए समझे जाएंगे।

- आय-कर नियम, 1962 के नियम 10नघ के उपनियम (3ख) में, "निर्धारण वर्ष 2020-21" शब्दों और अंकों के स्थान पर "निर्धारण वर्ष 2020-21 और 2021-22" शब्द और अंक रखे जाएंगे।

[अधिसूचना सं. 117/2021/फा. सं. 370142/44/2021-टीपीएल]

नेहा सहाय, अवर सचिव (कर नीति और विधान)

व्याख्यात्मक ज्ञापन : प्रमाणित किया जाता है कि इन नियमों को पूर्वव्यापी प्रभाव देने से किसी भी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

टिप्पण : मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में अधिसूचना सं. का.आ. 969(अ), तारीख 26 मार्च, 1962 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उनमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 627(अ), तारीख 13 सितंबर, 2021, द्वारा संशोधन किया गया था।

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)
(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th September, 2021

INCOME-TAX

G.S.R. 661(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 92CB read with section 295 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following rules further to amend the Income-tax Rules, 1962, namely:—

1. **Short title and commencement.** - (1) These rules may be called the Income-tax (30th Amendment) Rules, 2021.
- (2) They shall be deemed to have come into force from the 1st day of April, 2021.
2. In the Income-tax Rules, 1962, in rule 10TD, in sub-rule (3B), for the words and figures “assessment year 2020-21”, the words and figures “assessment years 2020-21 and 2021-22” shall be substituted.

[Notification No. 117/2021/F. No. 370142/44/2021-TPL]

NEHA SAHAY, Under Secy. (Tax Policy and Legislation)

Explanatory Memorandum : It is hereby certified that no person is being adversely affected by giving retrospective effect to these rules.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, section-3, sub-section (ii) *vide* number S.O. 969 (E) dated the 26th March, 1962 and were last amended *vide* notification number GSR 627 (E) dated the 13th September, 2021.